

[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WIDLIFE**  
VI-LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT  
I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002.

F.27A/WFD/COT/13-14/ 3486-93

Dated: 11/8/14

**NOTIFICATION**

Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 15.75 ha (approx) as detailed below for widening of Mehrauli-Mahipalpur Road (SH: From 4 lanes to 8 lanes and service road from Andheria Mod to Fortis Hospital Red Light, both side of road -LHS and RHS), by Public Works Department, from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed/Transplant	Compensatory plantation required (No. of trees)
I	Mahrauli-Mahipalpur Road Andheria Mod To Fortis Hospital Red Light, Delhi	15.75 ha (Approx)	708 - Removed 102 - Transplant	10000
		Total	810	10000

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

- a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 3,22,00,000/- (Rupees Three Crore Twenty Two Lakh Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1	10000	3,22,00,000/-	DCF (West)/Tree Officer

- b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 6400 no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. PWD in vacant land available at the construction site of widening of Mehrauli-Mahipalpur Road (From Andheria Mod to Fortis Hospital Red Light, both side of the road-LHS and RHS, Delhi and balance 3600 no. of trees by the Forest Department at land available in Kharkkhari Jatmat, Delhi.
- c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the PWD to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.
- d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West)

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Sanjiv Kumar)

Secretary (Env. & Forests)

F.27A/WFD/COT/14-15/ 3486-93

Dated: 11/8/14

Copy forwarded to:-

1. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister Govt. of NCT of Delhi.
3. The Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi.
4. The Addl. Pr. Chief Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
5. The Chief Engineer, M-1, PWD, 7<sup>th</sup> Floor, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi-110002, with the direction to ensure that the wood, after removal of trees, should find its way for use in Public Crematoria in Delhi.
6. The Dy. Conservator of Forests (West), West Forest Division, Mandir lane, Birla Mandir, New Delhi-110060. For information and necessary action.
7. The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi with Hindi version (two copies each) for publication in the Delhi Gazette Part IV – Extraordinary and with the request to supply at least 10 copies of the Gazette to this Department for necessary action and record.
8. Guard file



(Sanjiv Kumar)

Secretary (Env. & Forests)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-चार में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग  
छठा तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.ईस्टेट, नई दिल्ली-02

एफ.27ए/डब्ल्यू.एफ.डी./सी. ओ.टी / 13-14/3486-93

दिनांक:- 11/8/14

अधिसूचना

जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग द्वारा महरौली - महिपालपुर रोड के विस्तार के लिए (एसएच : 4 लेन से 8 लेन तक और सर्विस रोड, अंधेरिआ मोड से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट तक रोड के दोनों तरफ - एलएचएस एवं आरएचएस) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 15.75 हैक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग) से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	महरौली - महिपालपुर रोड अंधेरिआ मोड से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट, दिल्ली	15.75 (लगभग)	708 - हटाए जाने वाले 102 - प्रत्यारोपण	10000
		कुल योग	810	10000

सिद्धांत

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 3,22,00,000/- रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	10000	रु- 3,22,00,000/-	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/ वृक्ष अधिकारी

- (ख) उपभोगी संस्था द्वारा 6400 पौधे निर्माण कार्य स्थल महरौली -महिपालपुर, दिल्ली रोड के विस्तार (अधेरिआ मोड से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट तक रोड के दोनों तरफ - एलएचएस एवं आरएचएस), की खाली जगह पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा शेष 3600 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा उपलब्ध जगह खरखरी जटमल, दिल्ली में किया जाएगा।
- (ग) उप-वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।
- (घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(संजीव कुमार)

सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

एफ.27ए/डब्ल्यू.एफ.डी./सी. ओ.टी / 13-14 / 3486-93

दिनांक:- 11/8/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, राजनिवास, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. मुख्य अभियन्ता, एम-1, लोक निर्माण विभाग, सातवाँ तल, बहुमंजिला भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित की वृक्षों की कटाई के बाद प्राप्त लकड़ी दिल्ली में सार्वजनिक शवदाह गृह में प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाएंगे।
6. उप-वन संरक्षक (पश्चिमी), पश्चिमी वन विभाग, मंदिर लेन, बिरला मंदिर, दिल्ली- 110060 आवश्यक सूचनार्थ एवं जांच हेतु।
7. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ दो प्रतियां (प्रत्येक की)। इस अधिसूचना की कम से कम 10 प्रतियां सरकारी प्रयोग के लिए इस विभाग को आवश्यक कार्रवाई एवं अभिलेख के लिए भिजवाने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।



(संजीव कुमार)

सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)